110/IV/2020

SUKHI E-Stamp Vendor Civil Court Roorkee

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK70822972005618S
Certificate Issued Date	:	03-Jun-2020 04:11 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1226404/ ROORKEE/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122640444462211189597S
Purchased by	:	V V EDU TRUST GURUKUL NARSAN BYPRESIDENT SATISH KU
Description of Document	:	Article 64(A) Trust
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	V V EDU TRUST GURUKUL NARSAN BYPRESIDENT SATISH KU
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	V V EDU TRUST GURUKUL NARSAN BYPRESIDENT SATISH KU
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

VERIFIED & LOCKED

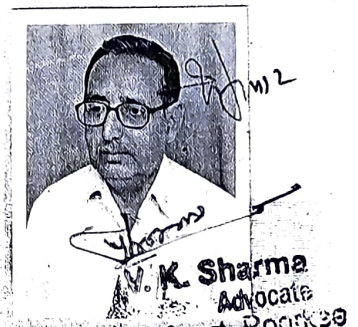

V. K. Sharma
Advocate
Civil Court, Roorkee

Please write or type below this line

ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)

न्यास पत्र

मै श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम थीथकी कवादपुर डा0 मंगलौर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार का निवासी हूँ। (आधार कार्ड न. 4500 [illegible] 6492)

ATTESTED

अध्यक्ष
विद्या विकासिनी एजुकेशनल ट्रस्ट
गुरुकुल नारसन (हरिद्वार)

TQ 0010737159

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

मेरी इच्छा विद्या विकासिनी एजुकेशनल ट्रस्ट शैक्षिक ,धार्मिक ,सामाजिकआदि कार्यो करने के लिए बनाने की है। मैं श्री सतीश कुमारआज दिनॉक 04 जून 2020 दिन बृहस्पतिवार को 11000/– ग्यारह हजार रुपये मात्र की प्रारम्भिक राशि से विद्या विकासिनी एजुकेशनलट्रस्ट की स्थापना की घोषणा करता हूँ।

इस ट्रस्ट का नाम कार्यालय पवित्र उद्देश्य व नियम आदि निम्नलिखित होगें।

ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)

1. ट्रस्ट का नाम– विद्या विकासिनी एजुकेशनल ट्रस्ट।
2. ट्रस्ट का कार्यालय व पता– ग्राम गुरुकुल नारसन डा0 गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार।
3. कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष।
4. उद्देश्य– ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य है–
   1. राष्ट्रीय एकता अखण्ड़ता बनाये रखना।
   2. ट्रस्ट का शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
   3. सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राइमरी से उच्च शिक्षा ,तकनीकी शिक्षा ,मैड़िकल शिक्षा कॉलेज,बी0एड़0, एम0एड़ ,योग ,कॉलेज स्थापित करना उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापित करना उनका प्रबन्धन एंव संचालन करना। पुरानी शैक्षिक संस्थाओं की मातृ सभा की सहमति से गोद लेकर उनको संचालित करना व उनकी सहायता करना।
   4. अल्पसंख्यकों एंव अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ,मुस्लिम ,ईसाई ,जैन ,फारसी आदि के लिये मदरसों गिरजाघरों स्कूलों आदि का खोलना एंव संचालन करना।
   5. समाज के गरीब वर्ग हेतु वैज्ञानिक तकनीकी ,मैडिकल तथा साहित्य शिक्षा के लिए प्रयास एंव प्रबन्ध करना। ऑन लाइन परीक्षाएँ सम्पन्न कराना।
   6. स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरुक करना व अस्पताल व मैड़िकल कॉलेज की स्थापना करना व उनका संचालन करना।
   7. अल्पसंख्यकों एंव दलित समाज हेतु पुस्तकालय एंव वाचनालय की स्थापना ।
   8. विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुस्तकों पत्रिकाओं एंव अन्तराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तर पर समाचार पत्रों का प्रकाशन कराना ।
   9. समाज हित में प्रकाशन की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
   10. बच्चों व युवा वर्ग में खेल के प्रति रुचि का सृजन करनें हेतु जिला स्तर से अन्तराष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न खेलों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना। विभिन्न प्रकार के खेलकूद हेतु छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करनें हेतु कार्य करना। व खेलकूद की कोचिगं देना एवम् विभिन्न खेलों की खेल एकेड़मी खोलना व खेलकूद हेतु स्टेडियम बनाना व उसका प्रबन्ध संचालन करना।
   11. जनहित में पशु मैड़िकल शिक्षा संस्थान एंव अस्पताल खोलना एंव उनका संचालन करना।
   12. गरीब बेसहारा अल्पंसख्यकों एंव दलित समाज के बाल–बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोंचिग सेन्टर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र तथा सिलाई केन्द्र चलाना।

सामाजिक/धार्मिक प्रयोजन हेतु–

13. मन्दिर ,अनाथ, वृद्व आश्रम आदि का निर्माण एंव संचालन करना।
14. समाज के गरीब वर्ग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तथा कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए शिक्षा एंव आवास का विशेष प्रबन्ध करना।
15. दहेज उन्मूलन मद्य निषेध बाल विवाह परिवार नियोजन गरीबी उन्मूलन दलित समाज हेतु उत्थान कार्य करना और प्रौढ शिक्षा आदि हेतु कार्य करना।
16. बेसहारा अनाथ विकलांग बच्चों के लिए अनाथ आश्रम तथा बेसहारा वृद्वों के लिए आश्रम एंव अस्पतालों का संचालन करना ।
17. कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम हेतु कार्य करना।
18. आपदा प्रबन्धन एंव पुर्नवास गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करना।
19. विकलांगों एंव विधवाओं हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।
20. ट्रस्ट के लाभ हेतु चल अचल सम्पत्ति खरीदना एंव बेचना।
21. अन्य वह कार्य जो ट्रस्ट के हितार्थ आवश्यक हो।
22. शुद्व वातावरण हेतु व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कराने हेतु प्रेरित करना एवं वृक्षारोपण करना। तत्समय प्रचलित समाज की आवश्यकतानुसार शासन की नितियों के अनुरुप कार्य करना। समाज के सभी वर्गो के हितों के लिए आराम घर का निर्माण करना व उनका प्रबन्ध करना।
23. नशा मुक्ति उन्मूलन हेतु कार्य करना तथा समाज को नशा मुक्त करना।
24. देश विदेश एंव प्रदेश की समउद्देश्य वाली संस्थाओं से उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु सम्पर्क स्थापित करना।
25. गउशालाओं का निर्माण करना व उनका संचालन करना। व पशु अस्पतालों का निर्माण कराना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।
26. खादी एंव ग्राम उद्योगों द्वारा कुटीर एंव उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करना।
27. अल्पंख्यक एंव पिछडें व दलित समाज की महिलाओं को स्वालम्बी योजनायें बनाना एंव उन पर कार्य करना।
28. कूडे कचरें को यान्त्रिक दृष्टि से गैस में बदलना एंव गोबर से बिजली उत्पादन हेतु कार्य करना।
29. ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए पुरानी सभा/समितियों द्वारा संचालित संस्थाओं को उनकी मातृ सभा की सहमति से गोद लेकर उनका संचालन प्रबन्धन करना।

5. न्यास सम्पत्ति का स्वामित्व – ट्रस्ट की सम्पत्ति पर स्वामित्व अध्यक्ष का माना जायेगा।
6. न्यास से लाभ उठानें के पात्र– बिना किसी जाति भेदभाव के भारत वर्ष का नागरिक न्यास से लाभ उठानें का पात्र होगा।

7. न्यासियों की संख्याएंव चयन –अध्यक्ष ही मूल ट्रस्टी होगा। जो जीवन भर अपने पद पर बने रहेगें। अध्यक्ष अपने विवेक से दो सदस्य ट्रस्टी जो सचिव एंव कोषाध्यक्ष होगें को दो वर्षो के लिए मनोनित करेगा।सदस्य ट्रस्टी के त्यागपत्र देनें या उनकी मृत्यु के उपरान्त /कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो कार्यकाल के अन्तर्गत या कार्यकाल समाप्ति पर ट्रस्टी/ट्रष्टियों को अपने विवेक से पुनः 02 दो वर्ष हेतु मनोनित करेगा।

(क) अध्यक्ष का चयन –

1. अध्यक्ष का पद उनकी मृत्यु के उपरान्त ही रिक्त होगा। तब उनका ज्येष्ठ पुत्र ही अध्यक्ष होगा। यदि ज्येष्ठ पुत्र 18 अठ्ठाराह वर्ष की आयु से कम है तो तब तकवह 18 वर्ष का हो जाये या अन्य कोई कारण /परिस्थिति हो तो कंमश दादा/दादीअध्यक्ष होगें।
2. अध्यक्षके पद त्यागपत्र देनें या उनकी मृत्यु के उपरान्त अध्यक्ष का ज्येष्ठ पुत्र ही स्वतः मूल ट्रष्टी अध्यक्ष नियुक्त होगा।
3. बड़ा पुत्र न होनें पर छोटा पुत्र वह न होनें पर पुत्री वह न होनें पर अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। यदि अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार अध्यक्ष नियुक्त करता है तो नियुक्ति के उपरान्त यदि पूर्व अध्यक्ष के पुत्र या पुत्री होते है तो पूर्व अध्यक्ष के पुत्र या पुत्री ही स्वंतः अध्यक्ष होगें। इस स्थिति में इच्छानुसार नियुक्त किये गये अध्यक्ष की कोई दावेदारी या अधिकार नहीं होगा।

8. (क)अध्यक्ष के अधिकार एंव कर्तव्य–
   1. ट्रस्ट की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
   2. ट्रस्ट मण्ड़ल की बैठक बुलाना।
   3. बैठकों का संचालन करना।
   4. बैठकें स्थगित करनें का अधिकार।
   5. बैठक में पारित प्रस्तावों की स्वीकृति देना।
   6. ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति का रख–रखाव ।
   7. ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति का क्रय – विक्रय करना।
   8. न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/शाखाओं में भी अध्यक्ष प्रबन्धन एंव संचालन में सक्षम होगा।
   9. किसी व्यवस्था पर समुचित फैसला न होने पर अध्यक्ष अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर फैसला लेगा।
   10. जरुरत पड़ने पर नियमों एंव उपनियमों में संशोधन करना। लेकिन यह संशोधन अध्यक्ष पद को लेकर नहीं होगा।

1. ट्रस्ट मण्ड़ल की सम्पत्ति की देखभाल करना।
2. ट्रस्ट मण्ड़ल की आय के स्त्रोतों को बढाना।
3. ट्रस्ट मण्ड़ल की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही रजि0 में दर्ज करना व ट्रस्ट कार्यालय से सम्बन्धित पत्राचार करना।

(घ)कोषाध्यक्ष के अधिकार एंव कर्तव्य–

1. ट्रस्ट मण्ड़ल की सम्पत्ति एंव आय–व्यय का लिखित रुप में हिसाब किताब रखना तथा वार्षिक ऑड़िट कराना तथा ऑड़िट रिपोर्ट अध्यक्ष की अनुमति से ट्रस्ट मण्ड़ल के सम्मुख रखंना ।
2. संस्था को प्राप्त हुए धन की रसीद देना तथा धन बैक में जमा करना।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची

क0सं0	नम	पता	पद	व्यवसाय	आधार सं0
1.	श्री सतीश कुमार	निवासी ग्राम थीथकी कवादपुर डा0 मंगलौर जिला हरिद्वार।	अध्यक्ष	समाजसेवी/ कृषि/पैंसनर	450047526421
2	श्री दीपक कुमार सालार	पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी– ग्राम थीथकी कवादपुर डाकखाना– मंगलौर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड़)	सचिव	नौकरी/कृषि	332783980448
3	श्रीमति प्रिया चौ0	पुत्री श्री उदय सिंह मौहल्ला सुभाषनगर गॉधी कालोनी मुजफ्फरनगर जिला मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश पिन कोड़ – 251001	कोषाध्यक्ष	नौकरी/गृहणी	582390489853

9. वित्तीय वर्ष– ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से आगामी मार्च होगा।
10. न्यास की सदस्यता– ट्रस्ट के ट्रस्टी नियुक्त करनें का अधिकार एवं निकालनें का अधिकार केवल अध्यक्ष को ही होगा। यदि न्यासी मण्ड़ल अपने उद्देश्यों के प्रति सही कार्य नहीं कर रहा है। तब न्यासी मण्ड़ल को भंग करनें का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 110 वर्ष 2020

Trust (Movable)
Trust (Movable)

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 100.00	रु0 20.00	रु0 220.00	रु0 340.00	2,000

श्री विद्या विकासिनी एजुकेशनल ट्रस्ट गुरुकुल नारसन द्वारा अध्यक्ष सतीश कुमार पुत्र श्री स्व0 भोपाल सिंह निवासी थिथकी कवादपुर परगना मंगलोर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार ने आज दिनांक 04 Jun 2020 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक रुड़की,प्रथम मे प्रस्तुत किया।

विद्या विकासिनी एजुकेशनल ट्रस्ट गुरुकुल
नारसन द्वारा अध्यक्ष सतीश कुमार

उपनिबन्धक
रुड़की,प्रथम
04-Jun-2020

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री विद्या विकासिनी एजुकेशनल ट्रस्ट गुरुकुल नारसन द्वारा अध्यक्ष सतीश कुमार पुत्र श्री स्व0 भोपाल सिंह निवासी थिथकी कवादपुर परगना मंगलोर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार \ ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार श्री 0 पुत्र श्री 0 निवासी 0 \ ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्रीमती बालेश पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी खानपुर गुरुकूल नारसन तहसील रूडकी जिला हरिद्वार तथा श्री अमित कुमार पुत्र श्री महीपाल सिंह निवासी शिव मंदिर वाली गली रेलवे रोड गणेशपुर रूड़की ने की।

उपनिबन्धक
रुड़की,प्रथम
04-Jun-2020

11. बैठक–(क) न्यास की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी। और अधिकतम अध्यक्ष की अनुमति से 7 सात दिन की पूर्व सूचना पर होगी। और 2/3बहुमत से निर्णय होगें।
(ख)किसी व्यवस्था पर समुचित फैसला न आने पर अध्यक्ष अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर फैसला लेगा।
12. कोरम –बैठक में ट्रस्ट कार्यकारिणी सभा हेतु कोरम अध्यक्ष सहित कुल 2/3दो तिहाई की उपस्थिति से होगा।
13. न्यासी पद समाप्त– अध्यक्ष को निम्न कारणों से किसी भी ट्रस्टी को हटानें का अधिकार होगा–
    1. सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जानें पर।
    2. नैतिक अपराध में दण्ड़ित होनें पर ।
    3. ट्रस्ट के हितों के विरुद कार्य होनें पर।
    4. आचरण भ्रष्ट होनें पर।
    5. पागल होनें पर।
    6. ट्रस्ट विरोधी कार्य करनें पर।
    7. लगातार दो मिंटिगों /बैठकों में अनुपस्थि रहनें पर।
    8. अध्यक्ष को यह संज्ञान हो कि ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के विरुद्व कार्य कर रहा है या ट्रस्ट के विरुद्व प्रचार कर रहा है तो अध्यक्ष अपनें विवेक से ट्रस्टी को हटा सकता है।
14. कानूनी कार्यवाही– ट्रस्ट द्वारा की जानें वाली कानूनी कार्यवाही अथवा ट्रस्ट के विरुद होने वाली कार्यावाही ट्रस्ट के लीगल एड़वाईजर के नाम से की जा सकेगी।
15. ट्रस्ट की कार्यवाही रजिस्टर कैश बुक व अन्य अभिलेख जो आवश्यक हो सचिव द्वारा सुरक्षित रखे जायेगें।
16. धन प्राप्ति–
    (अ) ट्रस्ट अपनी तरक्की हेतु सरकारी गैर सरकारी धन प्राप्त कर सकता है तथा स्वय सेवा संस्थाओं से अथवा व्यक्तियों से दान स्वरुप सहायता प्राप्त कर सकता है।सांसद निधि विधायक निधि से सहायता प्राप्त कर सकता है।
    (ब)ट्रस्ट का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैक सहकारी बैक डाकघर में रहेगा तथा ट्रस्ट का खाता पद नाम से "अध्यक्ष विद्या विकासिनी एजुकेशनल ट्रस्ट "के नाम से खोला जायेगा। खाते का सचांलन अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा।
17. अभिलेख – कार्यवाही रजिस्टर एजेण्ड़ा रजिस्टर सदस्यता रजिस्टर कैश बुक व अन्य आवश्यक कागजात।
18. ट्रस्ट का विघटन– ट्रस्ट का विघटन विशेष परिस्थितियों मेंट्रस्ट बोर्ड के निर्णय पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा। जिसमें अध्यक्ष व सचिव कोषाध्यक्ष तीनों का बहुमत हो। एंव अध्यक्ष के विवेक या विल के अनुसार होगा। विक्रय करनें में न्यासकर्त्ता भारतवर्ष का हिन्दू नागरिक होना चाहिए।

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 110 वर्ष 2020

विद्या विकासिनी
एजुकेशनल ट्रस्ट गुरुकुल
नारसन द्वारा अध्यक्ष

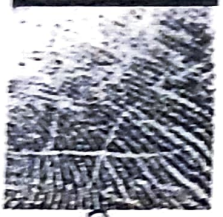

बालेश

अमित कुमार

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, रुड़की, प्रथम
04 Jun 2020

ट्रस्ट की सम्पत्ति – ट्रस्ट के पंजीयन हेतु वर्तमान में ट्रस्ट के पास 11000/– रुपये की धनराशिं उपलब्ध है। जिसके आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। तथा उक्त 11000/– रुपयें के अतिरिक्त उक्त ट्रस्ट के पास वर्तमान में कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। यह हमारे द्वारा निर्मित प्रथम ट्रस्ट है तथा हमारे संज्ञान मे इस नाम से पूर्व कोई ट्रस्ट गठित नहीं है।

अतः न्यास पत्र लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आये।

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता घोषित करते है हमारे पूरा न्यास पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत एक ट्रस्ट का गठन किया गया है।

दायें हाथ के अंगुठे व अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

बायें हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अतः यह न्यास पत्र लिख दिया गया है। ताकि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आयें।

दिनॉक–04/06/2020 ई0

साक्षी

1. श्रीमति बालेश
   हॉल निवासी– खानपुर गुरुकुल नारसन
   डा0 गुरुकुल नारसन जिला–हरिद्वार उत्तराखण्ड़।

2. श्री अमित कुमार
   पुत्र श्री महीपाल सिंह
   शिव मन्दिर वाली गली रेलवे रोड़
   गणेशपुर रुड़की जिला–हरिद्वार उत्तराखण्ड़।

4/6/2020
Sharma
Advocate
Civil Court, Ro...